



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ) प्रेस नोट

- पाली में बी.एस.टी.सी. कॉलेज का प्रबन्ध संचालक एवं व्याख्याता 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

जयपुर, 13 नवम्बर बुधवार/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की पाली-द्वितीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये गणेश रावल प्रबन्ध संचालक एवं विजय व्याख्याता उज्ज्वल विक्रम बी.एस.टी.सी. कॉलेज, बोमादड़ा रोड, पाली को परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि ए.सी.बी. की पाली-द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा एक शिकायत इस आशय की दी गई कि उसकी उपस्थिति पूरी करने एवं नम्बर दिलवाने की एवज में गणेश रावल प्रबन्ध संचालक एवं विजय व्याख्याता द्वारा 10 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर-द्वितीय के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राहुल कोटोकी के सुपरवीजन में ए.सी.बी. की पाली-द्वितीय इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री खींवसिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम के द्वेष कार्यवाही करते हुए आरोपी गणेश रावल प्रबन्ध संचालक एवं विजय व्याख्याता को परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के सुपरवीजन में आरोपीगण से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।